न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 2056–एक/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–6–2012 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद प्रकरण कमांक 166/अपील/2010–11

माणकचंद आत्मज राजाराम कुडमी
निवासी ग्राम रेलवा तहसील व जिला हरदा म0 प्र0

.....अपीलार्थी

विरूद्ध

1– म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस
एवं जिला उप पंजीयक हरदा म0 प्र0
2 रामप्रसाद आ0 छीतू जाति बलाही
निवासी ग्राम रेलवा तहसील व जिला हरदा म0 प्र0

.....प्रत्यर्थीगण

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, अपीलार्थी

:: आ दे श ::
(पारित दिनांक 28 नवम्बर, 2014)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 47 (5) के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश 19–6–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जिला न्यायाधीश, हरदा द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को पत्र कमांक 95/2010 दिनांक 31–8–2010 इस आशय का भेजा गया कि व्यवहार वाद प्रकरण कमांक 132/अ/2008 मानकचंद विरूद्ध रामाधार एवं अन्य में मानकचंद की ओर से इकरारनामा डिकी दिनांक 30–5–2001 में अपर्याप्त स्टाम्प पर निष्पादित होना पेश किया है । यह लेख धारा 35 स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, इस कारण इस न्यायालय के आदेशानुसार इस लेख को इम्पाउण्ड किया जाना है । तदहेतु बैंक चालान कमांक 0081 दिनांक 29–9–2010 द्वारा 83,600/–रूपये भारतीय स्टेट बैंक हरदा में जमा कराये गये है । अतः लेख अर्न्तवस्तु अनुसार विधिवत इम्पाउण्ड कर इस न्यायालय को नियत दिनांक 23–9–2010 के पूर्व वापस लोटाये। पत्र के साथ इकरारनामे की मूल प्रति संलग्न कर भेजी गई । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 01/बी–103/2010–2011 दर्ज कर दिनांक 28–6–2011 को आदेश पारित किया जाकर दस्तावेज पर रूपये 14,363/–मुद्रांक शुल्क निर्धारित किया जाकर रूपये 1,43,630/– की शास्ति अधिरोपित करते हुये शेष मुद्रांक शुल्क एवं अर्थदण्ड रूपये 74,393/–जमा करने के आदेश दिये गये । अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश से व्यथित होकर प्रथम अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 19–6–2012 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह व्दितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा वर्ष 2001 में निष्पादित अनुबंध पत्र पर वर्ष 2011 की गाईड लाईन के अनुसार मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपीलार्थी पर 10 गुना शास्ति अधिरोपित करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा वर्ष 2002 में हुये संशोधन को वर्ष 2001 में निष्पादित अनुबंध पत्र पर लागू करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । अंत में यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है ।

4/ प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध पूर्व से एक पक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विधिवत वर्ष 2000–2001 एवं 2001–2002 में पंजीकृत दस्तावेजों की सूची उप पंजीयक से मंगाई जाकर वर्ष 2001–2002 में प्रचलित गाईड लाईन के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । चूँकि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2001 में 50/–रूपये के स्टाम्प पर विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादित कराया गया है और वर्ष 2010 में जिला न्यायाधीश हरदा द्वारा दस्तावेज इम्पाउण्ड करने हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को भेजा गया है, अतः शासन को लगभग 10 वर्ष तक मुद्रांक शुल्क की हानि होने से कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपीलार्थी पर 10 गुना शास्ति अधिरोपित करने में भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । कलेक्टर स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली अपीलार्थी पर हुई है, इसके बावजूद भी अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर पक्ष समर्थन नहीं किया गया है । आयुक्त द्वारा भी अपीलार्थी को विधिवत सूचना दी गई है और अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री एन0 के0 खत्री एवं श्री संदीप दुबे उपस्थित हुये हैं । दिनांक 3–1–2012 को प्रकरण इस निर्देश के साथ आदेशार्थ नियत किया गया था कि उभयपक्ष 10 दिवस में लिखित बहस प्रस्तुत करेंगे, परन्तु अपीलार्थी की ओर से आयुक्त के समक्ष भी लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की गई है और आयुक्त द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया गया है । अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठाया गया यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा वर्ष 2011 की गाईड लाईन के अनुसार बाजार मूल्य निर्धारित करने में अवैधानिकता की गई है, क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा 2001–2002 में प्रचलित गाईड लाईन के अनुसार ही बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है । अपीलार्थी की ओर से उठाया गया यह तर्क भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है, क्योंकि स्वंय अपीलार्थी द्वारा न तो कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष और

न ही आयुक्त के समक्ष पक्ष समर्थन किया गया है । दर्शित परिस्थिति में आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–6–2012 वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर